

15/9/25

को पेश हों। 8

पत्राव पेश हुई। जहाँ वकील उपरोक्त जवाब अवम पेश की
में खारिज किया जा चुका है। जहाँ पत्र 212/2011
का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
जहाँ पत्र 212/2011 इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्राव फौसल शुमार लेकर दारिज
दफ्तर ले।

